

दिनांक 09.01.2024 को जिलाधिकारी महाराजगंज/अध्यक्ष DWSM की अध्यक्षता में सम्पन्न जल जीवन मिशन-हर घर जल की समीक्षा बैठक (समस्त घटक) का कार्यवृत्त:-

दिनांक 09.01.2024 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में जिला जनसूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-महाराजगंज, आनन्दनगर, नीतनवा, निचलील व सहायक अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथदिक कोया (जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर/डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर TPIA, DPMU के प्रोजेक्ट क्वार्टिनेटर आदि उपस्थित रहे। बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:-



(1) मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कार्य (JJM फेज-2):-

| S. N. | Date of Meeting | Phase   | Agency       | Land   |          | DPR Status Villages (No. Of Scheme) |           |           |           | Tri Party Agreement (No. Of Scheme) | Cover Agreement (No. Of Scheme) | Work Started |
|-------|-----------------|---------|--------------|--------|----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|       |                 |         |              | Target | Achieved | Target                              | Submitted | DWSM      | SLSSC     |                                     |                                 |              |
| 1     | 09.01.2024      | Phase-2 | JMC Projects | 446    | 446      | 446 (341)                           | 446 (341) | 446 (341) | 446 (341) | 446 (341)                           | 446 (341)                       | 444 (337)    |

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 446 राजस्व ग्रामों के 341 परियोजनाओं के सापेक्ष वर्तमान में 5 राजस्व ग्रामों के 5 परियोजनाओं का कार्य भूमि विवाद के कारण अनारम्भ है व कुछ परियोजनाओं पर वन विभाग द्वारा कार्यों को करने में आपत्ति की जा रही है। जिसके सन्दर्भ में फर्म व अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि प्रमाणीय वनाधिकारी व सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर समस्याओं का निराकरण करते हुये कार्य तीव्रगति से कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म की 341 परियोजनायें 8 कवर एग्रीमेंट के अन्तर्गत अलग-लग लक्षित तिथियों में पूर्ण की जानी है, जिसमें से कवर एग्रीमेंट- प्रथम (74 पेययोग), द्वितीय (81 पेययोग), तृतीय (94 पेययोग) अन्तर्गत कुल 249 परियोजनाओं के कार्य पूर्ण करने की तिथि समाप्त हो चुकी है, परन्तु पेयजल योजनाओं के कार्यों को पूर्ण नहीं किया गया है। उक्त परियोजनाओं में से मात्र 5 परियोजनाओं के कार्य पूर्ण हैं व अधिकांशतः नलकूप विकास, विद्युत संयोजन, पम्प हाउस, बाउन्ड्रीवाल, शिरोपरि जलाशय, रोड रेस्टोरेशन व गृह संयोजन कार्य अवशेष है। फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 27 परियोजनाओं के विद्युत संयोजन हेतु शतप्रतिशत धनराशि विद्युत वितरण खण्ड को जमा किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष 1 परियोजना पर विद्युत संयोजन कार्य कराया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये कि कवर एग्रीमेंट संख्या- 1 से 4 की समस्त परियोजनाओं (269 परियोजना) को मार्च 2024 तक शतप्रतिशत पूर्ण किये जाने व अन्य कवर एग्रीमेंट की परियोजनाओं को समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने व समस्त नलकूप 15 फरवरी 2024 से पूर्व पूर्ण कराये, साथ ही समस्त योजनाओं की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही दिनांक 09.10.2023 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में दिये गये लक्ष्यों को पूर्ण ना किये जाने के क्रम में फर्म पर कार्यवाही हेतु व FHIC के दैनिक/साप्ताहिक/मासिक लक्ष्यों को प्राप्त ना किये जाने के कारण फर्म के विरुद्ध चेतावनी हेतु पत्रावली प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि कुल तोड़ी गयी सड़कों के सापेक्ष 84 प्रतिशत सड़कों का रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करा दिया गया है जिसमें से 24 परियोजनाओं में 90 से 100 प्रतिशत, 204 परियोजनाओं में 80 से 90 प्रतिशत, 54 परियोजनाओं में 60 से 80 प्रतिशत, 34 परियोजनाओं में 40 से 60 प्रतिशत, 15

परियोजनाओं में 20 से 40 प्रतिशत, 10 परियोजनाओं में 0 से 20 प्रतिशत तक रेस्टोरेशन कार्य कराया गया है।  
80 से 99 प्रतिशत के मध्य रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण योजनाओं में 15 दिवसों के अन्दर शतप्रतिशत रेस्टोरेशन  
कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।  
(कार्यवाही-परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/अधिशाली अभियन्ता, जल  
निगम (ग्रामीण))

## (2) मेसर्स स्थिविक कोया (जे.वी.) (JJM फेज-3):-

| S<br>No | Date of<br>Meeting | Phase   | Agency              | Land   |          | DPR Status Villages (No. Of Scheme) |              |              |              | Tri Party<br>Agreement<br>(No. Of<br>Scheme) | Cover<br>Agreement (No.<br>Of<br>Scheme) | Work<br>Started |
|---------|--------------------|---------|---------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
|         |                    |         |                     | Target | Achieved | Target                              | Submitted    | DWSM         | SLSSC        |                                              |                                          |                 |
| 1       | 09.01.2024         | Phase-3 | Ritvik_Koya<br>(JV) | 647    | 647      | 647<br>(379)                        | 647<br>(379) | 647<br>(379) | 647<br>(379) | 647<br>(379)                                 | 647<br>(379)                             | 488<br>(284)    |

अधिशाली अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त 379 योजनाओं में से 174 योजनायें फर्म मेसर्स स्थिविक प्रोजेक्ट व 205 योजनायें फर्म मेसर्स कोया कंस्ट्रक्शन क०लि० द्वारा किया जा रहा है। फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व ग्रामों के उपरोक्त 379 परियोजनाओं के सापेक्ष वर्तमान में 14 परियोजनाओं पर पथरीला स्ट्रेटा होने के कारण नलकूप कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है व 8 परियोजनाओं पर भूमि विवाद के कारण कार्य अनारम्भ है व कुछ परियोजनाओं पर वन विभाग द्वारा कार्यों को करने में आपत्ति की जा रही है। जिसके सन्दर्भ में फर्म व अधिशाली अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि प्रभागीय वनाधिकारी व सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर समस्याओं का निराकरण करते हुये कार्य तीव्रगति से कराना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म मेसर्स कोया कंस्ट्रक्शन क०लि० की 205 परियोजनायें 8 कवर एग्रीमेन्ट के अन्तर्गत अलग-लग लक्षित तिथियों में पूर्ण की जानी है, जिसमें से कवर एग्रीमेन्ट- प्रथम (18 फेब्रुवरी), द्वितीय (18 फेब्रुवरी), अर्थात् कुल 36 परियोजनाओं के कार्य पूर्ण करने की तिथि समाप्त हो चुकी है, परन्तु पेयजल योजनाओं के कार्यों को पूर्ण नहीं किया गया है। अधिकांशतः नलकूप विकास, सोलर, पम्प हाउस, बाउन्ड्रीवाल, शिरोपरि जलाशय, रोड रेस्टोरेशन व गृह संयोजन कार्य अवशेष है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये कि कवर एग्रीमेन्ट संख्या- 1 से 4 की समस्त परियोजनाओं (89 परियोजना) को मार्च 2024 तक शतप्रतिशत पूर्ण किये जाने व अन्य कवर एग्रीमेन्ट की परियोजनाओं को समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने व समस्त नलकूप 15 फरवरी 2024 से पूर्व पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही दिनांक 09.10.2023 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में दिये गये लक्ष्यों को पूर्ण ना किये जाने के क्रम में फर्म पर कार्यवाही हेतु व FHTC के दैनिक/साप्ताहिक/मासिक लक्ष्यों को प्राप्त ना किये जाने के कारण फर्म के विरुद्ध चेतावनी हेतु पत्रावली प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म मेसर्स स्थिविक प्रोजेक्ट्स की 174 परियोजनायें 14 कवर एग्रीमेन्ट के अन्तर्गत अलग-लग लक्षित तिथियों में पूर्ण की जानी है, जिसमें से कवर एग्रीमेन्ट- प्रथम (13 फेब्रुवरी), द्वितीय (20 फेब्रुवरी), अर्थात् कुल 33 परियोजनाओं के कार्य पूर्ण करने की तिथि समाप्त हो चुकी है, परन्तु पेयजल योजनाओं के कार्यों को पूर्ण नहीं किया गया है। अधिकांशतः नलकूप विकास, सोलर, पम्प हाउस, बाउन्ड्रीवाल, शिरोपरि जलाशय, रोड रेस्टोरेशन व गृह संयोजन कार्य अवशेष है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये कि कवर एग्रीमेन्ट संख्या-1 से 10 की समस्त परियोजनाओं (149 परियोजना) को मार्च 2024 तक शतप्रतिशत पूर्ण किये जाने व अन्य कवर एग्रीमेन्ट की परियोजनाओं को समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने व समस्त बाउन्ड्रीवाल के कार्यों को 15 फरवरी 2024 से पूर्व प्रारम्भ कराने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही दिनांक 09.10.2023 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में दिये गये लक्ष्यों को पूर्ण ना किये जाने के क्रम में फर्म पर कार्यवाही हेतु व FHTC के दैनिक/साप्ताहिक/मासिक लक्ष्यों को प्राप्त ना किये जाने के कारण फर्म के विरुद्ध चेतावनी हेतु पत्रावली प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

फर्म मेसर्स स्थिविक कोया (जे.वी.) द्वारा अवगत कराया गया कि कुल तोड़ी गयी सड़कों के सापेक्ष 44.51 प्रतिशत सड़कों का रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करा दिया गया है जिसमें से 3 परियोजनाओं में 90 से 100 प्रतिशत, 3 परियोजनाओं में 80 से 90 प्रतिशत, 30 परियोजनाओं में 60 से 80 प्रतिशत, 77 परियोजनाओं में 40 से 60 प्रतिशत, 29 परियोजनाओं में 20 से 40 प्रतिशत, 237 परियोजनाओं में 0 से 20 प्रतिशत तक रेस्टोरेशन कार्य कराया गया है। 80 से 99 प्रतिशत के मध्य रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण योजनाओं में 15 दिवसों के अन्दर शतप्रतिशत रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही- मेसर्स स्थिविक कोया (जे.वी.), महाराजगंज/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण))

(3) मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 TPIA:- डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 4249 विन्दुओं की निस्तारण आख्या फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी है, जिसका परीक्षण TPIA द्वारा किया जा रहा है एवं 1485 विन्दुओं की निस्तारण आख्या प्राप्त होना अवशेष है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्यों में प्रायी गयी कमियों को तत्काल निस्तारित कराया जाये व शिरोपरि जलाशय की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, महाराजगंज/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)

उक्त के अतिरिक्त अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 189 घर घर जल ग्राम के सापेक्ष 54 ग्रामों को प्रमाणीकरण किया जा चुका है। अवशेष ग्रामों के प्रमाणीकरण की कार्यवाही प्रगति पर है। फर्म द्वारा योजनाओं पर सूचना बोर्ड लगाये जाने की प्रगति भी अत्यन्त धीमी है, वर्तमान तक 720 परियोजनाओं के सापेक्ष मात्र 31 परियोजनाओं पर सूचना बोर्ड लगाते हुये जियोटैगिंग कार्य किया गया है। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा सूचना बोर्ड व अन्य संरचनाओं का जियोटैगिंग कराने के कड़े निर्देश दिये गये हैं। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया कि योजनाओं पर अवशेष कार्यों को कराते हुये समस्त 189 ग्रामों का घर घर जल प्रमाणीकरण किया जाये व सूचना बोर्ड की धीमी प्रगति के क्रम में फर्म को अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से पत्रावली प्रस्तुत करते हुये नोटिस प्रेषित किया जाये।

ग्रामों में वितरण प्रणाली बिछाये जाने के उपरान्त रोड रेस्टोरेशन के कार्यों का सत्यापन सम्बन्धित ग्राम प्रधान/जू0ई0 लघु सिचाई/जू0ई0 ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा भी कराये जाये तथा पम्पिंग के माध्यम से/शिरोपरि जलाशय के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही परियोजनाओं की सूची सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से सत्यापन कराते हुये आख्या उपलब्ध कराया जाये। जल जीवन मिशन के मुख्य अवयव में दैनिक प्रगति को बढ़ाते हुये प्रत्येक दिवस न्यूनतम 500 नग FHTC तीनों फर्मों द्वारा कराने हेतु निर्देशित किया गया। अधिशाली अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि जिन कवर एग्रीमेन्ट का कार्य पूर्ण करने की तिथि समाप्त हो चुकी है के सम्बन्ध में फर्म को चेतावनी पत्र प्रेषित किये जाने हेतु पत्रावली प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(अनुनय झा)  
आई0एस0एस0  
जिलाधिकारी  
महाराजगंज।

### कार्यालय जिलाधिकारी, महाराजगंज

पत्रांक: 87 / पबिध-40 / 07 दिनांक: 20.01.2024

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज।
2. मुख्य अभियन्ता(गो0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), महाराजगंज।
5. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स में0 जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महाराजगंज।
6. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), महाराजगंज।
7. मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, महाराजगंज।
8. डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU) महाराजगंज।

जिलाधिकारी  
महाराजगंज।